आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

AIAPGET 2020 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुये आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ) कालेजों के पी0जी0 कोर्स में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग 2020

Counselling- 2020 of PG Course in AYUSH (Ayurveda, Unani & Homeopath) Medical Colleges of UP Adopting AIAPGET-2020 Merit List.

वेबसाइट www.pgcounselling.ayushup.in and www.saclko.in

आयुष विधा के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आनलाइन पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका

Brochure for Online Registration for Admission in AYUSH Stream PG Courses

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के राजकीय महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु

For PG Courses of AYUSH Stream in Government/ Private, including State University/Minority Ayurveda, Unani & Homeopathic Institutions.

Disclaimer: Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh will conduct online registration procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

अस्वीकृति–आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाओं द्वारा पूर्ण की जायेगी। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

Candidates are required to assess their eligibility carefully before applying/ depositing registration fee. The eligibility will be checked from original documents at the time of documents verification before counselling. Deposited fee will not be refund in any case.
अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भलीभांति स्वयं परीक्षण कर लें। काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेखों के सत्यापन के समय अभ्यर्थी की अर्हता का सत्यापन किया जायेगा। जमा किये गये शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

Any improper/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions, will make the candidate loose his/her candidature and would be subjected to legal action.
प्रवेश प्रक्रिया अथवा प्रवेश के उपरान्त किसी भी स्तर पर यदि कोई सूचना अनुचित/गलत पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

विषय सूची (Index)

क0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
01	समय सारणी	2
02	पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया	3
03	राजकीय क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु अर्हतायें एवं आरक्षण	3–5
04	निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु अर्हतायें एवं आरक्षण	5–6
05	शैक्षिक अर्हता एवं अभ्यर्थियों की मेरिट सूची	6
06	धरोहर धनराशि एवं वांछित अभिलेख	6–7
07	मॉप–अप राउण्ड	7–8
08	शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त कालेजों की सूची / पाठ्यक्रम / सीट संख्या / शुल्क	8–11
09	प्रमाण पत्रों का प्रारूप / अनुसूची	12–15

शासनादेश संख्या 01 / 96–आयुष–1–2020–235 / 2020 आयुष अनुभाग–1 दिनांक 07 जनवरी 2021 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं शासनादेश संख्या 168 / 96–आयुष–1–2021–235 / 2021 आयुष अनुभाग–1 दिनांक 21–22 जनवरी 2021 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ) कालेजों में पी0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

आयुष विधा के पी0जी0 पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ) में पी0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की अन्तिम तिथि 28.02.2021 के अनुक्रम में समय सारणी।

क्र0सं0	विवरण	दिनांक / अवधि
प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग		
01.	आनलाइन पंजीकरण	27.01.2021 से 05.02.2021 तक (10 दिवस)
02.	उ0प्र0 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	07.02.2021 (01 दिवस)
03.	प्रथम चक्र की काउंसिलिंग	11.02.2021 से 13.02.2021 तक (03 दिवस)
04.	प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	16.02.2021
द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग (सीटें रिक्त होने पर)		
01.	आनलाइन पंजीकरण	15.02.2021 से 21.02.2021 तक (07 दिवस)
02.	उ0प्र0 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	22.02.2021
03.	द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग	24.02.2021 से 25.02.2021 तक (02 दिवस)
04.	द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	27.02.2021 तक

नोट– आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि परिवर्धित किये जाने के फलस्वरूप अग्रिम चक्रों की काउंसिलिंग की तिथि www.pgcounselling.ayushup.in, www.saclko.in पर घोषित की जायेगी।

* आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कालेजों में ही प्रवेश की प्रक्रिया हेतु काउंसिलिंग की जायेगी। वर्तमान सत्र 2020–21 में कालेजों की मान्यता की स्थिति हेतु लगातार **www.pgcounselling.ayushup.in, www.saclko.in** का अवलोकन करते रहें।

पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया

1– केवल वही अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जो अभ्यर्थी ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2020 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हो तथा आयुष विधा में प्रवेश की अर्हता रखते हों।

2– यू0पी0 पी0जी0 आयुष 2020 की काउंसिलिंग हेतु **www.pgcounselling.ayushup.in, www.saclko.in** पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण**www.pgcounselling.ayushup.in, www.saclko.in** पर ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2020 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुये आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग 2020 के लिए दिये गये लिंक को क्लिक करें एवं वहां दिये गय निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।

पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क नान रिफण्डेबल (Non Refundable) सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए रू0 3000/– (रूपये तीन हजार मात्र) प्रति छात्र निर्धारित है। अतिरिक्त बैंक ट्रान्जेक्शन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा। भुगतान केवल ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) द्वारा ही होगा। इसके ए किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग (Online) द्वारा ही भुगतान स्वीकार किया जायेगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

AIAPGET 2020 के माध्यम से अर्ह घोषित छात्रों के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा आरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश–

अर्हतायें (Eligibility):-

01. राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेजों हेतु अर्हताएं–

(क) मात्र ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGET 2020 द्वारा अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह मान जायेंगे।

(ख) अभ्यर्थी की अनिवार्य इंटर्नशिप प्रवेश की अन्तिम तिथि **(30 नवम्बर 2020)** को पूर्ण होनी चाहिए।

(ग) प्रदेश के राजकीय आयुष कालेजों की कुल सीटों में 85 प्रतिशत सीटें प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी तथा 15 प्रतिशत सीटें केद्रीय कोटा के माध्यम से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा काउंसिलिंग से आवंटित की जायेगी। केन्द्रीय कोटे से सीट रिक्त रह जाने की दशा में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रवेश की कार्यवाही काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी।

राज्य कोटे की सीटों के लिये वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे एवं चिकित्सा अभ्यास हेतु उ0प्र0 राज्य के सम्बन्धित बोर्ड में पंजीकृत होंगे।

जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, एवं वांछित प्रवेश की विधा की स्नातक उपाधि उत्तर प्रदेश के सीमान्तर्गत विधि द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नही है।

(घ) **आरक्षण (Reservation):–** प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रणाली द्वारा प्रदान किया जायेगा जो कि निम्नवत् अनुमन्य होगा।

(I) **उर्ध्वाधर आरक्षण** (Vertical Reservation) की व्यवस्था निम्नवत् होगी।

01	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
02	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
03	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	10 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/2019/04(1)/2002/क–2/19 टी0सी दिनांक–08.02.2019 के वर्णित प्राविधानों के अनुसार उन्हीं कालेजों एवं पाठ्यक्रम में लागू होगा, जिनमें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्यापैथी परिषद, नई दिल्ली द्वारा ई0डब्ल0एस0 के आरक्षण हेतु सीटें प्रदान की हो।

(II) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण निम्नवत् प्रदान किया जायेगा–

01	दिव्यांग उपश्रेणी में श्रेणीवार (क्षैतिज)	05 प्रतिशत

(ङ) प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमन्य आरक्षण, रोस्टर प्रणाली द्वारा प्रदान किया जायेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक–01.04.2020 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।**

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी योग्यता के (मेरिट) के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित श्रेणी में समायोजित नही किया जायेगा।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिनांक 09.02.2021 एवं 10.02.2021 तथा दिनांक 13.02. 2021 एवं 14.02.2021 को उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करना होगा। 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग उपश्रेणी का लाभ दिया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जायेगाः–

(1) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

(2) आरक्षण प्रमाण–पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा

(3) अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(4) अन्य पिछड़े वर्ग की रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक–01.04.2020 या उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्र दिनांक–01.04.2020 या उसके बाद का निर्गत प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(5) दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम 2016 में निहित प्रविधानों के अन्तर्गत 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय–समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे। (संगत प्रमाण–पत्रों के प्रारूप संलग्नकों के रूप में प्रदर्शित है।)

(7) स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिपेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2020 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।

शासनादेश संख्या–22 सी0एम0/(1)/26–3–2013 दिनांक 10 जून, 2013 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी, जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा, उसे उसी श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लाभ अनुमन्य होगा।

01. निजी क्षेत्र के (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) कालेजों हेतु आर्हताएं एवं आरक्षणः–

(क) मात्र ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGET 2020 द्वारा अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगें।

(ख) अभ्यर्थी की अनिवार्य इंटर्नशिप प्रवेश की अन्तिम तिथि (30 नवम्बर 2020) को पूर्ण होनी चाहिए।

(ग) निजी क्षेत्र की समस्त आयुष विधा की शिक्षण संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रदेश अथवा अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अर्ह होगे (अर्थात प्रदेश एवं अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों में कोई भी श्रेणी विभाजन नही होगा)।

(घ) निजी क्षेत्र की समस्त आयुष विधा की सीटों पर किसी प्रकार का उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य नही होगा।

(झ) **निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आरक्षण–**

निजी क्षेत्र के अयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों, अल्पसंख्यक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

शैक्षिक अर्हता

अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा (AIAPGET 2020) में निम्नलिखित अर्हता होनी आवश्यक है–

क0सं0	श्रेणी	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको का परसेन्टाइल
01	अनारक्षित श्रेणी	50
02	अनुसूचित जाति	40
03	अनुसूचित जनजाति	40
04	अन्य पिछड़ा	40
05	अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग	45
06	आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग	40

प्रदेश में पंजीकृत अभ्यथियों की मेरिट सूची तैयार किया जाना

यदि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अभ्यर्थियों के ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2020 परीक्षा में समान अंक होने की स्थिति में:–

1. अभ्यर्थियों के बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 के समस्त व्यावसायिक वर्षो में प्राप्त कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता/मेरिट निर्धारित की जायेगी।
2. कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत भी समान होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरीयता/मेरिट में ऊपर रखा जायेगा।

राजकीय तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में काउंसिलिंग से पूर्व धरोहर धनराशि लिये जाने के संबंध में।

1– ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2020 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश्ज्ञ राज्य के आयुष विधा के राजकीय कालेजों में काउंसिलिंग से पूर्व धरोहर राशि रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों/अल्पसंख्यक

संस्थानों में रू0 25,000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा। यह धरोहर धनराशि किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग द्वारा भुगतान किया जा सकता है। धरोहर राशि जमा करने हेतु **www.saclko.in** पर उपलब्ध लिंक को क्लिक करके वहॉ दिये गये निर्देशो के अनुसार राशि जमा करनी होगी। समस्त धनराशि का भुगतान केवल आनलाइन पेमेंट (Online Payment) द्वारा ही स्वीकार होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्याग पत्र दे देता है, तो धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी तथा अगली काउंसिलिंग हेतु उस अभ्यर्थी को धरोहर राशि पुनः जमा करनी होगी।

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2020 की परिणाम सूची को अंगीकार करते हुए आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग 2020 (AYUSH PG Counseling-2020)

आयुष विधा में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग संबंधी सूचनाः

काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2020 के स्कोर कार्ड तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा। इस हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नही होगा। **काउंसिलिंग राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, टुड़ियागंज, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ** में सम्पन्न होगी। काउंसिलिंग सम्बन्धी अन्य विस्तृत सूचना विज्ञाप्ति तथा वेबसाइट **www.pgcounselling.ayushup.in,www.saclko.in** के द्वारा दी जायेगी।

1– ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिन्ट आउट।
2– ऑन–लाइन आवेदन (AIAPGET-2020) के समय अपलोड किये गये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों, उसी से बने हुए एक फोटोग्राफ।
3– AIAPGET-2020 का प्रवेशपत्र (Admit card)
4– AIAPGET-2020 Score Card मूल रूप में।
5– हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाणपत्र (Original Certificate)।
6– इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाणपत्र (Original Certificate)।
7– अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाणपत्र तथा समस्थ अंकतालिकाऐं (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 अथवा समकक्ष)।
8– इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।
9– श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि आरक्षित श्रेणी के न हों) मूल–रूप में (Original)।
10– उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)

मॉप–अप राउण्ड में निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगें यदि आवश्यक हो तो मॉप–अप चक्र की काउंसिलिंग हेतु तिथि तथा समय का निर्णय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा यथासमय लिया जायेगा। जिसकी सूचना संबंधित वेबसाइ**pgcounselling.ayushup.in,www.saclko.in** के द्वारा प्रदर्शित की जायेगी।

1. मॉप–अप राउण्ड में AIAPGET 2020 में मेरिट सूची में अर्ह घोषित एवं आयुष काउंसिलिंग –2020 हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी, जिनके पास मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हों, वह ही काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।

2. मॉप–अप राउण्ड में आयुष काउंसिलिंग 2020 द्वारा प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी का पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा। आयुष काउंसिलिंग 2020 के माध्यम से पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व की सीट से त्यागपत्र देते हुए पुनः मॉप–अप चक्र की काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है, तो उन्हें धरोहर राशि पुनः जमा करनी होगी तथा मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

मॉप–अप राउण्ड में निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे

1. AIAPGET 2020 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए आयुष काउंसिलिंग 2020 के माध्यम से आयुष विधा के पी0जी0 पाठ्यक्रमों में आवंटन प्राप्त प्रवेशित अभ्यर्थी।

2. मॉप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में।

शैक्षणिक सत्र 2021 हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेश अनुमति प्राप्त कालेजों की सूची / पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या

(अ) राजकीय आयुर्वेदिक कालेजः–

क्र0 सं0	कालेज का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 (आयु0) / एम0एस0 (आयु0)	सीटों की संख्या	शुल्क
1	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम0डी0	05	1. शिक्षण शुल्क रू0 12000 / –प्रतिवर्ष 2. अन्य शुल्क रू0 2000 / – 3. विकास शुल्क रू0 4000 / –प्रतिवर्ष 4. प्रवेश शुल्क रू0 2000 / – केवल प्रवेश के समय 5. काशन मनी (रिफण्डेबुल) रू0 4000 / – केवल प्रवेश के समय 6. छात्रावास शुल्क निःशुल्क 7. विद्युत उपयोग रू0 500 / – प्रति माह
		रचना शारीर	एम0डी0	04	
		क्रिया शारीर	एम0डी0	04	
		द्रव्यगुण विज्ञान	एम0डी0	06	
		रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	एम0डी0	05	
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	06	
		कौमारभृत्य	एम0डी0	05	
		काय चिकित्सा	एम0डी0	07	
2	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	द्रव्यगुण विज्ञान	एम0डी0	07	
3	राजकीय आयुर्वेद कालेज,	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त	एम0डी0	05	
		रस शास्त्र एवं	एम0डी0	05	

	वाराणसी	भैषज्य कल्पना			
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम0डी0	05	
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम0एस0	06	
		शल्य तंत्र	एम0एस0	06	
		पंचकर्म	एम0डी0	05	
कुल सीटों की संख्या				81	

(अ) निजी क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक कालेजः—

क0 सं0	कालेज का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 / एम0एस0 (आयु0)	सीटों की संख्या	शुल्क
1	शम्मे गौसिया माइनोरिटी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, गाजीपुर	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम0डी0	04	क्लीनिकल विषय शिक्षण शुल्क रू0 5,00,000 / — नॉन क्लीनिकल विषय शिक्षण शुल्क रू0 3,00,000 / —
		प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम0एस0	04	
		काय चिकित्सा	एम0डी0	05	
		शल्य तंत्र	एम0एस0	04	
कुल सीटों की संख्या				17	

राजकीय यूनानी कालेजों का नामः—

क0 सं0	कालेज का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 / एम0एस0 (यूनानी)	सीटों की संख्या	शुल्क
1	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज, एवं चिकित्सालय, औरंगाबाद निकट रमाबाई स्थल, लखनऊ	तहफ्फुजी वा समाजी तिब	एम0डी0	01	1. शिक्षण शुल्क रू0 12,000 / —प्रतिवर्ष 2. अन्य शुल्क रू0 2,000 / — 3. विकास शुल्क रू0 4,000 / —प्रतिवर्ष 4. प्रवेश शुल्क रू0 2,000 / — केवल प्रवेश के समय 5. काशन मनी (रिफण्डेबुल) रू0 4,000 / — केवल प्रवेश के समय 6. छात्रावास निःशुल्क 7. विद्युत उपयोग रू0 500 / — प्रति माह
		तशरीहुल बदन	एम0एस0	03	
2	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, एवं चिकित्सालय, हिम्मतगंज, प्रयागराज	इलाज बिद तदबीर	एम0डी0	02	
		उज्न, अनफ व हलक	एम0एस0	02	
कुल सीटों की संख्या				08	

उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित यूनानी कालेजों के एम0डी0 (यूनानी)/एम0एस0 (यूनानी) पाठ्यक्रम की सीटों का सत्र 2020–21 हेतु विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	विशिष्टता का नाम	एम0डी0 (यूनानी)/एम0एस0 (यूनानी)	सीटों की संख्या	शुल्क
1	जामिया तिब्बिया कालेज देवबन्द सहारनपुर	मुआलेजात	एम0डी0	04	रू0 3,00,000/– प्रति वर्ष 03 वर्ष तक
2	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल देवबन्द सहारनपुर।	मुआलेजात	एम0डी0	02	एम0डी0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 4,00,000/– शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष
		मुनाफेउल आजा	एम0डी0	02	
		इल्मुल जराहत	एम0एस0	02	एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु रू0 8,50,000/– शिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष
		इल्मुल कबालत व अमराजे निस्वॉ	एम0एस0	02	
कुल सीटों की संख्या				12	

राजकीय होम्योपैथिक कालेजः–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	एम0डी0 (होम्यो) पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	शुल्क
1	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, एवं अस्पताल, लखनऊ	ओरगेनन आफ मेडिसिन	07	1. शिक्षण शुल्क रू0 12000/– प्रतिवर्ष 2. अन्य शुल्क रू0 2000/– 3. विकास शुल्क रू0 4000/– प्रतिवर्ष 4. प्रवेश शुल्क रू0 2000/– केवल प्रवेश के समय 5. काशन मनी (रिफण्डेबुल) रू0 4000/– केवल प्रवेश के समय 6. छात्रावास शुल्क निःशुल्क 7. विद्युत उपयोग रू0 500/– प्रति माह
		मटेरिया मेडिका	07	
		रिर्पटरी	06	
2	राजकीय लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, एवं अस्पताल, प्रयागराज	मटेरिया मेडिका	11	
3	पंडित जवाहर लाल नहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर	मटेरिया मेडिका	07	
		रिर्पटरी	06	
		कुल सीटों की संख्या	44	

उ0प्र0 के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित होम्योपैथिक कालेज

क0 सं0	संस्था का नाम	एम0डी0 (होम्यो) पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	शुल्क
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज नोएडा गौतम बुद्ध नगर	ओरगेनन आफ मेडिसिन	06	रू0–2,50,000 / – प्रतिवर्ष प्रति छात्र
		मटेरिया मेडिका	06	
		रिर्पटरी	06	
		फार्मेसी	06	
		प्रैक्टिस आफ मेडिसिन	06	
		पिडियाट्रिक्स	06	
		साइकिएट्री	06	
कुल सीटों की संख्या			**42**	

<u>नोटः–</u> (1) उपरोक्त सीटों में E.W.S कोटा की सीटें सम्मिलित है।

(2) काउन्सिलिंग में केवल उन्हीं महाविद्यलयों को सम्मिलित किया गया है जिनकों शैक्षणिक सत्र–2020–21 में प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेश अनुमति प्राप्त है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार यदि किसी अन्य कालेज को मान्यता प्रदान करता है, तो तत्समय उस कालेज को काउन्सिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा। कालेजों के सम्मुख अंकित सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

(प्रो0 सुरेश चन्द्र)
निदेशक, आयुर्वेद
(पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन)

(डा0 मो0 सिकन्दर हयात् सिद्दीकी)
निदेशक, यूनानी

(प्रो0 मनोज यादव)
निदेशक, होम्योपैथी

प्रमाण–पत्रों का प्रारूप (Format of Certificates)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या———— दिनांक————

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी———— पुत्र/पुत्री/श्री————निवासी ग्राम ———— तहसील————नगर ————जिला ———— उत्तर प्रदेश राज्य की ———— पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———— पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनसूची–दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी———— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम————तहसील————नगर जिला———— में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक ————
स्थान————
मुहर ————

हस्ताक्षर————
पूरा नाम ————
पद नाम तथा सील————

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय टरख, अर्कवंशीय काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य कहार, कश्यप केवट या मल्लाह, निषाद थकसान कोइरी कुम्हार, प्रजापति कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी सैथवार कम्बोज कसंगर कुजड़ा या राईन गोसाई गूजर गड़ेरिया, पाल, और बघेल गद्दी, घोशी थगरि चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक छीपी, छीपा जेगी झोजा डफाली तमोली, बरई, चौरसिया तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार दर्जी, इदरीसी, काकतस्था धीवर नक्काल नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	नायक फकीर बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान बरी बैरानी बिन्द बियार भर, राजभर भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन भठियारा माली, सैनी मनिहार, कचेर, लसैरा मुराव या मुराई, मौर्य मोमिन अंसार भिरासी मुस्लिम कायस्थ मारछा रंगरेज, रंगवा लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी–राजपूत लोहार, शैफी लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान सोनार, सुनार, स्वर्णकार स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर हलवाई मोदनवाल हज्जाम, नाई, सलमानी, सबिता, श्रीवास रायसिख	सक्का भिस्ती, भिश्ती अब्बासी धोबी (जो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियां गंधी, अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों) कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार नानबाई मैर शिकार शेख, सरबरी (पिराई) पीराही मेद, मेवाती कोष्टा / कष्ठी रोड खुमरा, संगत राम, हसीरी मोर्चा खागी तंवर सिंघाड़िया कतुआ महीगीर छांगी धाकड़ गाड़ा तंतवा जोरिया पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी जाट कलाल, कलवार, कलार नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरेकिरण (कर्ण)

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्दिष्ट से कर लिया जाये।

<u>प्रमाण पत्र प्रारूप नं– 2</u>

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या————————— दिनांक —————————

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ——————————————————निवासी ग्राम———————————————————— तहसील——————————————————नगर——जिला—————————————————— उत्तर प्रदेश राज्य की ———————————— जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————————तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम————————————— तहसील—————————— नगर————————————— जिला—————————————में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर——————————

स्थान——————————

दिनांक ————————

हस्ताक्षर

पूरानाम

पदनाम तथा सील——

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची</u>

1– अगरीया	34– धरमी	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची
2– बधिक	35– धसिया	1– थारू
3– वदी	36– गोंड	2– बेनस
4– बहेलिया	37– ग्वाल	3– भोटिया
5– बैगा	38– हबुड़ा	4– श्राजी
6– बैसवार	39– केली	5– जौनसारी
7– बजनिया	40– केला	शासनादेश संख्या–111 भा–स–/26–03–2003(7) /2003 दिनांक 3–07–2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया हैः–
8– बजगी	41– क्लाबाज़	6– गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
9– ब्लहर	42– कंजड़	7–खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वारा.ासी एवं सोनभद्र जनपदों में)
10– बलई	43– कबडिया	8–सहरिया (ललितपुर जिले में)
11– बाल्मीकि	44– करबल	9– परहिया (सोनभद्र जिले में)
12– बंगाली	45– खरैता	10– बैगा (सोनभद्र जिले में)
13– बनमानुश	46– खरबार (बनवासी को छोड़कर)	11– पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
14– बांसफोर	47– खटिक	12– अगरिया (सोनभद्र जनपद में)
15– बरवार	48– खरोट	13– पटारी (सोनभद्र जनपद में)
16– बसोड़	49– कोल	14– चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
17– बयरिया	50– कोरी	15– भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)
18– बेलदार	51– कोरवा	
19– बेड़िया	52– ललबेगी	
20– भ्रांतु	53– मझवार	
21– भुइया	54– मजहबी	
22– बोरिया	55– मुसहर	
23– भदयार	56– नट	
24– चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव	57– पंखा	
25– नेरो	58– पहरिया	
26– छबगर	59– पसी, तरमाली	
27– धागंर	60– पतरी	
28– धानुक	61– श्रावत	
29– धरकार	62– सहरिया	
30– धोबी	63– सनोरिया	
31– डोम	64– सांसिया	
32– डोमर	65– शिल्पकार	
33– दुसाध	66– तुरैहा	

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग–1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06–06–2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश–2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25–06–2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश–2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।